न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 9/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00009

		अभियुक्त :–
राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	1. श्री दीपक महात्मा पुत्र श्री संपतलाल महात्मा मालिक/विक्रेता मैसर्स कामधेनु दुध भण्डार एवं जनरल स्टोर, दिगम्बर जैन मंदिर के पास, मु.पो तलवाडा जिला बॉसवाडा

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी	श्री दीपक महात्मा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 24.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के द्वारा दिनांक 02.02.2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 13–07–2020 को अप. 03.00 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स कामधेनु दुध भण्डार एवं जनरल स्टोर, दिगम्बर जैन मंदिर के पास, मु.पो तलवाडा जिला बॉसवाडा** पर पहुंचा, निरीक्षण करने पर पाया कि उपरोक्त विक्रेता की दुकान पर **श्री दीपक महात्मा** उपस्थित थे, विक्रेता को खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन वर्ष 2020 का दिखाने को कहा, जिस पर विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन पत्र प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर **सेन्डविच ब्रेड (Amool)** के 300 ग्राम वाले 10 पैकेट्स मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री हेतु पाये गये। इसमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्डर्ड एवं अनसेफ का शक होने पर **सेन्डविच ब्रेड (Amool)** के 300 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति मे फार्म नं. 5ए पर खरीदने की सूचना देते हुए खरीदे तथा इनकी कीमत 80 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की।

नमूना जांच हेतु क्रय किये **सेन्डविच ब्रेड (Amool)** के 300 ग्राम के 4 पैकेट्स पर फार्म नं. 5ए पर वर्णित सभी जानकारी अंकित पाई गई। **सेन्डविच ब्रेड (Amool)** की खरीद के संबंध में विक्रेता द्वारा कोई अग्रिम बिल प्रस्तुत नही किया। इन खरीदशुदा 4 पैकेट्स को खोलकर प्लास्टिक के चार साफ सुखे एवं खाली जारो में भरकर (प्रत्येक जार में एक पैकेट **सेन्डविच ब्रेड (Amool)**) विक्रेता ने मौके पर उक्त **सेन्डविच ब्रेड (Amool)** की भ... प्रत्येक जार में फार्मेलीन की 24 बुंद डोलकर प्रत्येक जार का मुह ढक्कन की ... बन्द किया तथा प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नमुना जार को मोटे व मजबुत कागज में लपेट कर, कागज के दोनो सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। चारो बोतल पर विभाग के कोड व सिरीयल नं.W–595 जिस पर विवरण आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान से हस्ताक्षर करा स्वयं ने चिपकाया। प्रत्येक नमूना जार पर अभिहित खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप W – 595 प्रत्येंक नमूना जार के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में गौंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील बन्द किया। प्रत्येक सीलबन्द नमूना बोतल पर सम्पूर्ण विवरण अंकित कर हस्ताक्षर किये गये एवं नमुना जारों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने जाप्ते में लिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म 5–ए की प्रतियां व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढा कर, सुना कर एवं समझा स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त चार भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बॉसवाडा को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH Lab/Act/2020/ 121 दिनांक 23–07–2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **सेन्डविच ब्रेड (Amool)** CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(2)(c), 2.2.2(5)(i) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। जिस पर अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) व 52 साथ ही अभियुक्त ने माल कहॉ से प्राप्त किया है का बिल इनवाईस सूचना नही देकर खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व 2011 की धारा 27(3)(d) एवं सहपठित धारा 26(2)(v) का उल्लंघन किया जिसमे अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया है।

प्रकरण दिनांक 05–02–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 24.02.2021 को अभियुक्त श्री दीपक महात्मा ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। सुनवाई के दौरान आरोपी ने प्रथम अपराध होना बताते हुए दण्ड के विषय पर नरमी का रूख अपनाने निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH Lab/Act/2020/ 121 दिनांक 23–07–2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:46:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया गया **सेन्डविच ब्रेड** (Amool) CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(2)(c), 2.2.2(5)(i) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः **सेन्डविच ब्रेड** (Amool) CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(2)(c), 2.2.2(5)(i) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। जिस पर अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 52 साथ ही अभियुक्त ने माल कहॉ से प्राप्त किया है का बिल इनवाईस सूचना नही देकर खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व 2011 की धारा 27(3)(d) एवं सहपठित धारा 26(2)(v) का उल्लंघन किया जिसमे अधिनियम की धारा 58 में निर्धारित है। अतः विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री दीपक महात्मा पुत्र श्री संपतलाल महात्मा मालिक/विक्रेता मैसर्स कामधेनु दुध भण्डार एवं जनरल स्टोर, दिगम्बर जैन मंदिर के पास, मु.पो तलवाडा जिला बॉसवाडा** को 10,000/–के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)
न्याय निर्णयम अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:46:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner